राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर–302017

E-mail- raj_coop_press@yahoo.co.in Website – www. thecooperativepress.com

मुद्रित सामग्री के बंधन कार्य दर संविदा पर एमपेनलमेंट हेतु निविदा का विवरण

मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2025–26 की (अनुबंध की तिथि से 31.03.2026) अवधि के लिये समय–समय पर आवश्यकतानुसार मुद्रित सामग्री के बंधन कार्य हेतु निम्नानुसार (निर्धारित निविदा प्रपत्र में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट टू बिड पद्धति द्वारा) निविदायें आंमत्रित की जाती हैः–

(सभी राशियां रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	
1	अनुमानित राशि	रु. 100.00 लाख
2	बोली प्रतिभूति	रू. 2.00 लाख
3	बिड शुल्क	रु. 1000.00
4	प्रोसेसिंग फीस	रु. 1500.00
5	ऑनलाईन बिड प्रकाशन की तिथि	07.02.2025
6	वेबसाईट पर बिड प्रकाशन की तिथि	07.02.2025
7	बिड सबमिशन प्रारम्भ तिथि एवं समय	07.02.2025 को प्रातः 10.00 बजे से
8	बिड सबमिशन समाप्ति तिथि एवं समय	17.02.2025 को सायं 5.00 बजे तक
9	बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग व टेण्डर फीस का डीडी मुद्रणालय में प्रस्तुत करने की तिथि व समय	18.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक
10	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	18.02.2025 को दोपहर 12.00 बजे

---

1. बिड शुल्क, अमानत राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 1500/– का डिमांड ड्राफ्ट MD RISLके नाम डीडी द्वारा जमा करवाना होगा।
2. बिड/निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण व शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecoorperativepress.com पर उपलब्ध है। बिड/निविदा वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जानी है।
3. बिड/निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।
4. बोलीदाता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं इलेक्ट्रोनिक्स बिड में उक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना डिजीटल हस्ताक्षर कोई भी बिड ऑफर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0
जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

<u>वर्ष 2025–26 की अवधि के लिये बाह्य बंधन कार्य के लिये बाईण्डरों की दर संविदा एवं एमपेनलमेन्ट हेतु बिड्स</u>

मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2025–26 की (अनुबंध तिथि से 31.03.2026 तक) अवधि के लिए इस मुद्रणालय की स्वीकृत दरों/प्राप्त न्यूनतम दरों पर विभिन्न प्रकार के बाह्य बंधन कार्य कराने हेतु बाईण्डरों का ऐमपेनलमेन्ट करने हेतु बाईण्डरो से आनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट प्रक्रिया के तहत सहमति प्रस्ताव के साथ टू बिड्स पद्धति से दिनांक 17.02.2025 को सायं 5.00 बजे तक बिड आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से आमंत्रित तकनीकी बिड्स के निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्ते एवं वित्तीय बिड/BoQ (परिशिष्ट''अ'' से ''स'') को उक्त तिथि व समय तक मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। तकनीकी निविदा तथा वित्तिय निविदा वेबसाईट eproc. rajasthan.gov.in पर सम्बधित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई क्रमशः PDF Format एवं BoQ Format में अपलोड करनी होगी। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 18.02.2025 को दोपहर 12.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की ''वित्तीय बिड'' को ही खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। ***बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/नकद/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी।*** राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि ***मुद्रणालय में उक्त वर्णित तरीको से किसी एक द्वारा*** मुद्रणालय के पक्ष में जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सामग्री के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा। अन्य कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उक्त सबंध में संस्था के फोन 0141–2751417 एवं ई–मेल : raj_coop_press@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2026 तक होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : बिड प्रपत्र एवं शर्ते

प्रबन्ध निदेशक

प्रपत्र ''अ''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2023–24 की अवधि के लिये बाह्य बंधन कार्य के लिये एमपेनलमेन्ट हेतु बिड प्रपत्र प्रथम ''तकनीकी बिड''

1. बिड प्रपत्र मूल्य रू. 1000/– (Non Refundable) द्वारा डी.डी सं0 .... दिनांक ....
2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 17.02.2025 को सायं 5.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 18.02.2025 को दोपहर 12.00 बजे
4. बिड का अनुमानित मूल्य 1.00 करोड़ रू0

---

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता..

   ....

   बोलीदाता फर्म का कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता ....

   ....

   फोन नं. ....ई–मेल ....मोबाइल नं. ....

1. बिड प्राप्तकर्त्ता – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत 1.00 करोड़ रू0 का 2% (2 लाख रू0)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण ....
2 (i) (ii)	बोली प्रतिभूति राशि में लद्यु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लद्यु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ है। इस प्रकार की ईकाई बिड सूचना में बताई गई अनुबन्ध राशि का आधा प्रतिशत 50 हजार रू0 मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है। उद्योग विभाग से जारी लद्यु उद्योग इकाई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या .... एव दिनांक	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण ....
3	प्रोसेसिंग फीस (Non Refundable) (MD, RISL) के नाम देय (रूपये एक हजार पाँच सौ मात्र)	डी. डी. संख्या दिनाक
4	जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है।) एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. रिटर्न की सनदीलेखाकार (CA) द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।	जी.एस.टी. नं.
5	बेलीदाता के पैन पंजीकरण एवं कर निर्धारण वर्ष 2024–25 की आई.टी.आर की प्रति संलग्न है।	पैन नं.

6	बिड के साथ के नमूने संलग्न है (मोहर सहित) (भौतिक रूप से मुद्रणालय में प्रस्तुत करने है)	1.– कैनवास बाईण्डिंग का रजिस्टर 2.– अबरी बाईण्डिंग का रजिस्टर
6	स्थापित मशीनों का विवरण निम्न है :– कटिंग मशीन सिलाई मशीन स्टिचिंग मशीन परफेक्ट मशीन फोल्डिग मशीन परफोरेटिंग मशीन नम्बरिंग मशीन (मशीन क्रय के बिल संलग्न करे)	
7	विगत तीन वित्तीय वर्षो (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में अथवा बोली प्रस्तुत करते समय हस्तगत आदेशों के मूल्य के विरूद्ध किये गये कार्य के प्रमाण पत्र सहित किसी भी एक वर्ष में बंधन कार्य की समरूप संविदाओं को संतोष जनक रूप से पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र मय अनुबंध की प्रति संलग्न करें।	
8	विगत 3 माह (नवम्बर, 24–जनवरी 2025) का बैंक स्टेटमेंट	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :–

(1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।

(2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

(3) यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) यह कि विगत 3 वर्षो में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये है।

(5) यह कि मैं/हम किसी भी राज्य सरकार द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किये गये है।

(6) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तो/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।

(7) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तो से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम..

पद..

पता...

....

मो0नं0...

प्रपत्र ''ब''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.
जी–1/138, मालवीय ओद्यौगिक क्षैत्र, जयपुर

वित्तीय बिड

वर्ष 2025–26 की अवधि (अनुबंध तिथि से 31.03.2026) के लिये बाह्य बंधन कार्य के लिये दर संविदा एवं एमपेनलमेन्ट हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय ''वित्तीय बिड''

1. बोलीदाता का नाम व पूरा पता..

....

....

2. मुद्रणालय को वर्ष 2025–26 की अवधि बाह्य बंधन कार्य करने हेतु हमारी फर्म द्वारा BOQ में दरें प्रस्तुत है।

3. सभी दरें टैक्स रहित (Without Tax) अंकित है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर
जी–1/138, मालवीय ओद्यौगिक क्षैत्र, जयपुर

<u>मुद्रित सामग्री का बंधन कार्य कराने हेतु बिड एवं संविदा की शर्तें</u>

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए। बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढा जावें। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नही होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

1. वर्ष 2025–26 (अनुबंध तिथि से 31.03.2026 तक) की अवधि के लिये मुद्रणालय की स्वीकृत दरों/प्राप्त न्यूनतम दरों पर बंधन कार्य कराने हेतु बाईण्डरों का ऐमपेनलमेन्ट करने हेतु आनलाईन ई प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया के तहत टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित करने हेतु हस्ताक्षरयुक्त वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित तिथि 17.02.2025 को सायं 5.00 बजे तक अपलोड कर प्रस्तुत करनी है। (1) तकनीकी बिड प्रपत्र 'अ' में तकनीकी व अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र 'ब' में ऐमपेनलमैन्ट की सहमति स्वरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड दिनांक 18.02.2025 को दोपहर 12.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड मे योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. बिड उन्ही बन्धन कार्य करने वाली फर्मो की स्वीकृत की जायेगी जो वास्तविक रूप से बंधन कार्य का व्यवसाय करती हो।
5. बंधन कार्य मुद्रणालय परिसर या मुद्रणालय द्वारा आवंटित परिसर या बाइण्डरों के निजी परिसर में कार्य को ध्यान में रखते हुये कराया जावेगा।
6. बिड प्रस्तुत करने की तिथि व समय पर मुद्रणालय में केनवास बाईण्डिंग एवं अबरी बाईण्डिंग के एक–एक रजिस्टर नमूने के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
7. बंधन कार्य हेतु दरे लेबर एवं मैटेरियल की अलग–अलग देनी होगी। जिन मदों में दरें पूर्व अंकित नहीं है, उन्हें बिड्र द्वारा भरा जाना है।
8. बंधन कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का प्रयोग निर्देशानुसार उच्च स्तर का करना होगा। कार्यालय द्वारा दी गई अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर माल उपलब्ध कराना होगा। बंधन कार्य हेतु प्रदत्त सामग्री की गोपनीयता आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता फर्म की होगी।
9. दरें स्वीकृति उपरान्त किसी भी परिस्थिति में संशोधित नहीं की जावेगी।
10. बिड प्रपत्र पर प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरयुक्त होगा। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिये। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर किये जावें।

11. बंधन कार्य के लिये दी गई सामग्री को पूर्णतः गिनकर ले जाना व गिनकर सम्भलवाना होगा। जिसका कोई ट्रांसपोर्टेशन व्यय देय नहीं होगा। यदि सामग्री कम मात्रा में प्राप्त होगी तो उसकी वसूली (कागज मुद्रण सहित) बोलीदाता के बकाया बिल अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कटौती कर ली जावेगी।
12. बंधन कार्य दिये गये इन्डेन्ट तथा अन्य निर्देशों के अनुसार पूर्ण करना होगा। इण्डेंट एवं निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं होने पर स्वीकार नहीं होगी तथा उस सामग्री की राशि का पूर्ण पुनर्भरण बोलीदाता फर्म को ही करना होगा। मुद्रणालय द्वारा आवंटित समस्त प्रकार का बंधन कार्य यथा रूलिंग, परफोरेटिंग, नम्बरिंग इत्यादि निर्देशानुसार बोलीदाता को करना होगा।
13. पूरे कैनवास के रजिस्टर्स में 36 से 40 ओंस अथवा जैसा निर्देश दिया जावे का स्टेण्डर्ड गत्ता, सादा व अबरी रजिस्टर्स में 36 ओंस का स्टार गत्ता लगाना होगा। गत्ते का ओंस निर्देशानुसार ही परिवर्तित किया जा सकेगा। रजिस्टर्स में पीछे की पट्टी दानेदार कपडे की होगी। यदि रजिस्टर्स में अबरी प्रयोग की जावेगी तो वह बढिया स्तर की इमीटेशन अबरी होगी। इसके विपरीत अबरी प्रयोग की जावेगी तो उसका भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. जॉब वर्क की जो भी किताबें बनेंगी उसमें 16 ओंस का गत्ता व कपडे की पट्टी लगेगी तथा 100 ग्राम क्राफ्ट पेपर स्टार मिल का प्रयोग में लिया जावेगा तथा पैडों में भी 16 ओंस का गत्ता एवं 100 ग्राम क्राफ्ट पेपर प्रयोग में लिया जायेगा। अन्य जॉब वर्क में भी 100 ग्राम क्राफ्ट पेपर स्टार मिल का प्रयोग में लिया जावेगा। यदि कोई परिवर्तन होता है तो बंधन कार्य दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ण करना होगा।
15. बंधन कार्य में यदि प्रपत्र में अंकित साईज में अतिरिक्त साईज की बाइण्डिंग करनी हो तो उसकी दर साईज के नीचे जो साईज की दर स्वीकृत हो, देय होगी।
16. बाईण्डिंग क्लॉथ ''अ'' श्रेणी मिल द्वारा उत्पादित प्रथम श्रेणी का प्रयुक्त किया जावेगा।
17. बंधनकर्ता द्वारा कार्य समाप्ति उपरान्त एवं मुद्रणालय को हस्तगत करने के 7 दिवस में कार्यालय को बिल प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान 30 दिवस में चैंक द्वारा किया जावेगा। समयावधि में बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उत्तरदायित्व बंधनकर्ता फर्म का होगा।
18. उपर्युक्त विवरणों के अतिरिक्त विशेष कार्य के लिए सामग्री आवश्यकतानुसार लगानी होगी जिसके लिए पूर्व में निर्देश दिये जावेंगे।
19. बंधन कार्य उच्च स्तर का होगा। यदि बंधन किया गया माल टूट या बिखर जावेगा या अन्य बन्धन कार्य संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी आवश्यक मरम्मत उस निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर की जावेगी। अन्यथा मुद्रणालय द्वारा अन्य जगह से कराकर उस राशि को बंधनकर्ता की राशि से वसूल करली जावेगी।
20. वितरण की गई बाइण्डिंग वस्तुऐं निर्धारित विशेष विवरणों के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सैम्पल से मिली हुई सर्वोत्तम किस्म की होगी।
21. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा क्वालिटी/मेक के बारे में जांच करने का अधिकार होगा।
22. यदि अनुमोदित बाइण्डर निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो नियमानुसार शास्ति लगाने का अधिकार मुद्रणालय को होगा मुद्रणालय प्रशासन अनुमोदित बाईण्डर द्वारा सप्लाई नहीं किये गये या अनापुरित सामग्री या आपूरित सामग्री में शिकायत होने की स्थिति में लिखित में सात दिवस का नोटिस दे सकता है एवं यदि उस

नोटिस की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित बाइण्डर पालन करने में असफल रहता है तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोका जा सकेगा।

23. बंधन कार्य साल भर के लिये समय–समय पर मुदणालय की आवश्यकतानुसार ही कराया जायेगा। बंधन कार्य की प्रकृति व आकस्मिक कार्य के त्वरित निष्पादन के परिणाम को दृष्टिगत रखते हुये कार्य आवंटन किया जायेगा। तत्संबंधी सर्वाधिकार मुद्रणालय का होगा।

24. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नही करेगा।

25. संस्था को माल का निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने का अधिकार होगा।

26. बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला का पूर्ण पता मुद्रणालय को देना होगा, ताकि संस्था द्वारा निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

27. सफल बोलीदाता जिनका कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला जयपुर में स्थित नही उनको अनुबंध निष्पादन तिथि से एक माह की तिथि/निर्देशित समय में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला स्थापित कर पुर्ण पता देना होगा, जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना होगा, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

28. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न सामग्री प्रयुक्त की जाती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसे बिना अतिरिक्त मूल्य एवं प्रभार के एक निश्चित अवधि के भीतर बिडर द्वारा बदलना होगा। आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

29. सभी दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर होगी, जिसके लिए कोई कार्टेज व अन्य किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।

30. अनुमोदित बोलीदाता आदेश में अंकित समय की अवधि में माल सप्लाई करने के लिए बाध्य होंगे।

31. बोलीदाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में बिड एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होगें। जो कि अनुबन्ध का भाग होगा।

32. *तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत या लघु उद्योग इकाई के मामले में आधा प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/नकद/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा "राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर" के पक्ष में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन किया जावेगा।*

33. पूर्व में मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।

34. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध सम्पादित करना होगा तथा बिड एवं संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार निविदा राशि का 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार 1 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में राशि जमा करानी होगी। अनुबन्ध पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता को वहन करना पडेगा। क्रय कर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।

35. बोलीदाता को भुगतान करने में (राशि के प्रेषित) में जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा।

36.1. सामग्री/बंधन कार्य की सामग्री को गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भाला जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पडेगा।

2. बंधन कार्य का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

3. बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिड स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने का अयोग्यता माना जावेगा।

37. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। न्यूनतम दरदाता से वार्ता करने का नियमानुसार उपापन संस्था को पूर्ण अधिकार होगा। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बताये बिना रद्द कर सकता है। प्राप्त न्यूनतम दरों पर मुद्रणालय बिड में सम्मिलित अन्य बिडर की सहमति होने पर एमपेनलमेंट में शामिल किया जा सकेगा।

38. बोलीदाता को जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. रिटर्न की सनदीलेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रति बिड के साथ आनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

39. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगीः–

(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए;	*2.5%*
(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए;	*5%*
(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए;	*7.5%*
(घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए;	*10%*

40. फर्म को पंजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप निम्नानुसार हैः–

एस.आर प्रारूप – 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

41. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
42. Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.
43. अनुबंधकर्ता बिडर को आयकर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
44. दरों में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दों वाली दर सही मानी जावेगी।
45. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
46. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
47. बिड्स अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से 31.03.2026 तक मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
48. दोनों बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जानी है। बिड प्रपत्र (टू बिड) एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड्स के साथ ही बिड्स प्रपत्र की राशि 1000/–, प्रोसेसिंग फीस 1500/– व बोली प्रतिभूति राशि का DD Scan Copy अपलोड करने एवं मूल DD मुद्रणालय में जमा करवाने पर ही तकनीकी बिड्स में हिस्सा लिया जा सकता है।
49. बोलीदाता या बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को समस्त बोली दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना होगा एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में उनके पक्ष में बोलीदाता द्वारा जारी अधिकृति पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा बिड पर विचार नही किया जावेगा।
50. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
51. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।
52. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं अन्य सभी विधिक संगत प्रावधान लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त बिड एवं संविदा की शर्ते पूर्ण रूप से पढ़ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिये बाध्य होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर